

राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय

मांग संख्या 82

उप-राष्ट्रपति का सचिवालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	...	3.12	3.12	...	3.75	3.75	...	3.56	3.56	...	3.81	3.81	
पूँजी	
जोड़	...	3.12	3.12	...	3.75	3.75	...	3.56	3.56	...	3.81	3.81	
उप-राष्ट्रपति													
1. सचिवालय	2012	...	3.11	3.11	...	3.67	3.67	...	3.55	3.55	...	3.73	3.73
2. अन्य	2012	...	0.01	0.01	...	0.08	0.08	...	0.01	0.01	...	0.08	0.08
जोड़-उप-राष्ट्रपति		...	3.12	3.12	...	3.75	3.75	...	3.56	3.56	...	3.81	3.81
कुल जोड़		...	3.12	3.12	...	3.75	3.75	...	3.56	3.56	...	3.81	3.81

1-2. यह मांग उपराष्ट्रपति सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों के यात्रा व्यय, आकस्मिक एवं विवेकाधीन अनुदान सहित उपराष्ट्रपति के सचिवालय के स्टाफ और अधिकारियों पर व्यय का प्रावधान है। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मांग सं. 80 से प्रदान किया जाता है।